94

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4112—एक/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—05—2012 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना जौरा के प्रकरण क्रमांक 05/2011—12/अपील

.....

अजयचन्द पुत्र गिरवरसिंह,
निवासी—ग्राम गैपरा, तहसील जौरा
जिला— मुरैना, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— रामसिंह पुत्र चरनु
2— महेश पुत्र चरनु,
3— भागो पुत्री चरनु समस्त जाति जाटव
समस्त निवासीगण— ग्राम ब्रम्ह बाजना,
तहसील कैलारस, जिला— मुरैना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 वाजपेयी अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभगीय अधिकारी, परगना जौरा के प्रकरण क्रमांक 05/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 25—05—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम अपील में अवधि विधान की धारा—5 के अंतर्गत दिये गये आवेदन को मंजूर किया है । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपर तहसीलदार तहसील— जौरा के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । आवेदक ने अपने आवेदन में प्रार्थना की थी कि उसने अनावेदकगण से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा ग्राम— गैपरा की भूमि सर्वे

क्रमांक 177, 530 एंव 619 के कुल रकबे 1.83 आर.ए. में से 0.458 हैक्टेयर भूमि क्रय की है, अतः उसका नामांतरण किया जायें । उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 14.06.2011 को आवेदक का नामांतरण आवेदन स्वीकार किया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में दिनांक 24.10.2011 को अपील प्रस्तुत की । अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने के लिये अवधि विधान की धारा –5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदन के समर्थन में अनावेदक रामसिंह ने अपना शपथ–पत्र दिया था ।

3/ अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक एवं अनावेदकगण को सुनने के बाद अवधि विधान के अंतर्गत दिये गये आवेदन को सद्भावना पूर्ण मानकर स्वीकार किया । आवेदक ने अपने निगरानी आवेदन में जो आधार लिये है उन पर आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अभिभाषक का कहना है कि –अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान के अंतर्गत दिये गये आवेदन को स्वीकार करने में वैधानिक त्रुटि की है, क्योंकि अनावेदकगण नामांतरण के आदेश से सहमत थे, इसलिये उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं था । अनावेदकगण ने अपने आवेदन में विलम्ब को क्षमा करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं दर्शाये थे, अपील प्रस्तुत करने में जानकारी के दिनांक से दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना चाहिये था । उनका कहना है कि अनावेदकगण के आवेदन में पर्याप्त कारण न होते हुये तथा दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण ना दिये जाने के कारण आवेदन निरस्त किये जाने योग्य था। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदन को स्वीकार करने में त्रुटि की है । आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 1999 आर.एन. 366, 1992 आर.एन 289 आदि न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये.

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को का विरोध करते हुये, अनावेदकगण के अभिभाषक ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुये, कहा कि अनावेदकगण ने आवेदक के हित में कभी कोई विक्रय पत्र नहीं किया है, जिस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण चाहा गया था, वह विक्रय पत्र फर्जी है । उस पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर व अंगुठा निशान बनाये गये है । अनावेदकगण के अभिभाषक का कहना है कि ऐसे विक्रय पत्र से आवेदक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । उनका आगे तर्क है कि विवादित भूमि ग्राम–गैपरा की है जो जौरा तहसील के अंतर्गत आता है जौरा में उपपंजीयक कार्यालय के होते हुये आवेदक ने मुरैना के के उपपंजीयक कार्यालय में कूटरचित विक्रय पत्र का पंजीयन कराया है । आगे उनका कहना है कि

अनावेदकगण को तहसील की कार्यवाही एवं आदेश की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिये जानकारी होने की दिनांक से समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई है ।

5/ अपने तर्क के समर्थन में अभिभाषक ने तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 01.04.2011 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये, कहा कि आवेदक के आवेदन पर अपर तहसीलदार टप्पा पहाड़गढ़ के न्यायालय में कार्यवाही प्ररंभ हुई थी। दिनांक 30.04.2011 को अपर तहसीलदार ने आदेश पत्रिका में लिखा कि इस्तहार वाद तामिल उपरांत वापस प्राप्त कोई आपत्ति नहीं । विक्रेता को पुनः तामिल जारी हो एवं अगली पेशी 24.05.2011 नियत की गई थी। दिनांक 24.05.2011 की कोई आदेश पत्रिका नहीं है । दिनांक 09.06.2011 के पूर्व प्रकरण नायब तहसीलदार जौरा के न्यायालया में चला गया, जहां दिनांक 09.06.2011 को नायब तहसीलदार ने अपर तहसीलदार की पूर्व आदेश पत्रिका से हटकर अनावेदकगण के विरूद्ध इस कारण से एकपक्षीय कार्यवाही कर दी कि दिनांक 30.04.2011 को अनावेदकगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे। अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर तहसीलदार की आदेश पत्रिका 30.04.2011 में तामिल वापस प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है, पुनः तामिल जारी करने का आदेश दिया था । इसलिये नायब तहसीलदार को प्रकरण प्राप्त होते पुनः तामिल जारी करना चाहिये था। उनका तर्क है कि प्रकरण के अभिलेख से ही प्रमाणित होता है कि अनावेदकगण के विरूद्ध अनियमित रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। इसी कारण उन्होंने नायब तहीसलदार की जानकारी होने के बाद समयावधि में अपील प्रस्तुत की ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन करने एवं तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने तथा अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना नायब तहसीलदार ने आदेश पारित किया था। अपर तहसीलदार के न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 30.04.11 में ऐसा उल्लेख नहीं है कि अनावेदकगण को सूचना पत्र की तामिल हो चुकी है । इस आदेश पत्रिका से ऐसा प्रतीत होता है कि अनावेदकगण भेजा गया सूचना पत्र वापस प्राप्त नहीं हुआ था, इसी कारण अपर तहसीलदार ने पुनः तामिल जारी करने के आदेश दिये थे। अनावेदकगण ने अवधि विधान की धारा –5 के आवेदन में कहा है कि उन्हें नामांतरण की कार्यवाही में कोई सूचना नहीं दी गई और न ही विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया गया है। इस कारण वे अपना पक्ष समर्थन करने से वंचित रहे है। उन्होंने नायब तहसीलदार की

जानकारी दिनांक 13.10.2011 को उस समय होना बताया है जब आवेदक ने उन्हें कृषि करने से रोका । अनावेदकगण द्वारा दिये गये आवेदन में जानकारी होने के दिनांक से अपील प्रस्तुत करने के दिनांक तक का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया था ।

7/ उपरोक्त विवेचना, प्रकरण के अभिलेख एवं अभिभाषकों के तर्कों पर मनन करने के पश्चात मेरे मत में अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब को क्षमा करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की है । अनावेदकगण को तहसील न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला, यह अभिलेख से स्पष्ट होता है । नायब तहसीलदार को अपर तहसीलदार के न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने पर अपर तहसीलदार की आदेश पत्रिका के अनुसार पुनः तामिल जारी करना चाहिये थी । अनावेदकगणों ने अपील प्रस्तुत करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं किया है । इसलिये मेरे मत में अनावेदकगण को न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया निगरानी आवेदन अस्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–05–2012 यथावत रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर